Title: Need to protect the interests of employees working on temporary basis in Government Departments and PSUs in the country.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): आज भारत के सर्वोच्च न्यायाल के निर्देश के आलोक में विभिन्न सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक लोक उपक्रमों आदि में अस्थायी श्रमिकों को नियुक्त किया गया है और देश में लाखों लोग इसके तहत कार्यरत हैं, परन्तु ऐसे अधिकांश मजदूरों और कार्मिकों के लिए उचित पारिश्रमिक, सेवा का स्थायीकरण, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि की चिन्ता नियोक्ता को नहीं है। संबंधित आउटसोर्सिंग एजेन्सी ऐसे मजदूरों और कार्मिकों को सरकार द्वारा निर्धारित देय वेतन और सुविधाओं से वंचित रखते हैं। परिणामतः ऐसे लोग कम वेतन पर कार्य करने को विवश हैं।

अतः सरकार को ऐसे अस्थायी प्रकृति के मजदूरों और कार्मिकों की वरीयता और कार्यानुभव का समय-समय पर आंकलन करना चाहिए और इनके बेहतर भविष्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नियामक आयोग की स्थापना की जाए और विभागीय रिक्तियों में इनकी सेवा का समायोजन करने और स्थायी पद पर नियुक्ति प्रदान करने की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाए।